

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र0क0 / दो / 2015 निगरानी

निग/3548-II-15

श्री ज. व. पी. जात्रण एस0  
द्वारा आज दि. 31/10/15 को  
प्रस्तुत

रामा वाई पुत्री दलपत यादव  
निवासी ग्राम पलेरा तहसील  
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़  
--आवेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन -- अनावेदक

( न्यायालय कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 2 अ  
19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2001  
के विरुद्ध निगरानी - अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व  
संहिता, 1959)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)


यह कि ग्राम पलेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1806/2215  
रकबा 0.202 हैक्टर आबादी में स्थित है जिस पर आवेदिका का  
वर्षों पूर्व से निस्तार है। दूर संचार विभाग पलेरा को श्रीमान  
कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2 अ 19/  
2000 -01 में पारित आदेश दिनांक 29-12-2000 से ग्राम  
पलेरा की भूमि सर्वे क्रमांक 1212/1 रकबा 0.202 हैक्टर  
आवंटित की गई थी, किन्तु स्थानीय नेताओं के दवाव के कारण  
एवं राजनैतिक रसूखदारों के लाभ के लिये भूमि सर्वे क्रमांक  
1212/1 रकबा 0.202 हैक्टर के स्थान पर पुनः आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R -3548-II/2015

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामबाई / म०प्र०शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-01-2016	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद नायक द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 13.1.16 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वे आवेदक की इच्छा के अनुसार कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी क्रमांक 3548/दो/15 रामाबाई विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, निगरानी वापस लेने का अनुरोध किया गया है। विचारोपरांत प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता की ओर से किए गये निवेदन एवं प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।</p> <p style="text-align: right;">                       (आशीष श्रीवास्तव)                      सदस्य                 </p>	